अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कॉन्ग्रेस

प्रिलिम्स के लिये:

भारत में जैविक विविधता, CCAMLR, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों पर अभिसमय हेतु पक्षकारों का सम्मेलन।

मेन्स के लिये:

समुद्री संरक्षित क्षेत्र।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों **(Marine Protected Areas- MPA)** के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने हेतु कनाडा में**5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कॉन्ग्रेस (International Marine Protected Areas Congress- IMPAC5)** आयोजित की गई।

- यह बैठक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में आयोजित **जैविक विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन** में वर्ष 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करने हेतु राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की थी।

नोट: कनाडा तीन महासागरों- प्रशांत, आर्कटिक और अटलांटिक से घिरा हुआ है और इसकी दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा है।

प्रमुख बिंदु

- **सतत् और लचीला/सुनम्य MPA नेटवर्क:**
  - कम-से-कम **70% MPA अंडरफंडेड हैं।** एक अच्छी तरह से प्रबंधित और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित MPA कमज़ोर पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहाल कर सकता है।
  - टिकाऊ और लचीला MPA नेटवर्क प्राप्त करना सुरक्षा, नेतृत्व, हितधारकों, संस्थानों, सरकारों तथा संगठनों, स्थानीय लोगों, तटीय समुदायों एवं व्यक्तियों के साथ **समावेशी व न्यायसंगत तरीके से महासागर संरक्षण को आगे बढ़ाने की समग्र प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।**
  - IMPAC5 का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान-प्रदान के लिये खुले और**सम्मानजनक वातावरण में ज्ञान, सफलताओं एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये एक मंच प्रदान करना है।**
- **MPA का महत्त्व:**
  - MPAs अपने स्वयं के प्रबंधन के लिये स्थायी राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं।
  - पर्यटन कार्यक्रमों के लिये वैधानिक और गैर-सांविधिक MPA शुल्क, **मैंग्रोव संरक्षण** से उत्पन्न **ब्लू कार्बन** क्रेडिट एवं वनों की कटाई से बचने के साथ-साथ समुद्री शैवाल की खेती तथा टिकाऊ तटीय मत्स्यपालन से राजस्व उत्पन्न किया जा सकता है।

समुद्री संरक्षित क्षेत्र:

- **परिचय:**
  - MPAs महासागर के निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जिसके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जैवविविधता की सुरक्षा और संरक्षण किया जा रहा है।
  - विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी अथवा मत्स्य प्रबंधन संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिये क्षेत्र के भीतर कुछ गतिविधियाँ सीमित अथवा पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
  - MPA के तहत मछली पकड़ने, अनुसंधान और अन्य मानवीय गतिविधियों को हमेशा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है; वास्तव में कई MPAs विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

- **MPAs की स्थापना की आवश्यकता:**
  - **जैवविविधिता संरक्षण:**
    - MPAs **समुद्री प्रजातियों की विविधिता और उनके आवासों को संरक्षति करने में मदद करते हैं,** समुद्री पारिस्थितिकि तंत्र के संतुलन और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, जैसे कि भोजन और ऑक्सीजन के उत्पादन को संरक्षति करते हैं।
  - **सतत् मत्स्यपालन:**
    - MPAs मछली पकड़ने की गतिविधियों को विनियिमति करने और ओवरफशिगि को रोकने में मदद कर सकते हैं, यह सुनश्चिति करते हुए कि मछली की उचति आबादी बनी रहे ताकि सतत् मछली पालन की स्थायी प्रथाओं को सहयोग मलिता रहे।
  - **जलवायु परविर्तन शमन:**
    - MPAs **कार्बन सकि के रूप में काम कर सकते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषति और संग्रहीत करने में मदद करते हैं** तथा समुद्री पारस्थितिकि तंत्र पर जलवायु परविर्तन के प्रभावों को कम करते हैं।
  - **अनुसंधान और शकि्षा:**
    - MPAs **वैज्ञानकि अनुसंधान और शैक्षकि गतविधियों के लयि बहुमूल्य अवसर प्रदान कर सकते हैं,** समुद्री पर्यावरण के प्रतति हमारी समझ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
  - **आर्थकि लाभ:**
    - **MPAs पर्यटकों को आकर्षति कर** स्थायी पर्यटन और मनोरंजन के अवसर प्रदान करने तथा स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों का समर्थन कर **स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान कर सकते हैं।**
- **संधयिाँ, अभसिमय और समझौते:**
  - **काला सागर, भूमध्य सागर और सन्नहिति अटलांटकि क्षेत्र के केटेशयिन के संरक्षण पर समझौता:**
    - इसका उद्देश्य केटेशयिन के संरक्षण के लयि वशिष रूप से संरक्षति क्षेत्रों' का एक नेटवर्क स्थापति करना है। यह राष्ट्रीय जल में केटेशयिन की हत्या पर रोक लगाता है।
  - **बर्न अभसिमय:**
    - इसे वर्ष 1979 में यूरोपीय समुदाय परषिद के तत्त्वावधान में तैयार कयाि गया था, यह वर्ष 1982 से लागू है और इसमें यूरोपीय राज्य शामलि हैं।
  - **CITES:**
    - वर्ष 1973 में UNEP के तहत तैयार कयाि गया CITES वर्ष 1975 से दुनयाि भर में लागू है। वन्यजीवों एवं वनस्पतयिों की लुप्तप्राय प्रजातयिों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) तीन परशिष्टिों में सूचीबद्ध प्रजातयिों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नयिंत्रति करता है।
  - **यूरोपीय संघ आवास नर्दिेश:**
    - वर्ष 1992 में यूरोपीय समुदाय परषिद द्वारा तैयार कयाि गया यूरोपीय संघ आवास नर्दिेश यूरोपीय संघ के सभी राज्यों पर लागू होता है, जसिमें अज़ोरेस और मदीरा (पुर्तगाल का हसि्सा) तथा कैनरी द्वीप समूह शामलि हैं।
  - **अंटार्कटकि समुद्री जीवति संसाधनों के संरक्षण के लयि आयोग (CCAMLR):**
    - समुद्री जीवति संसाधनों की चतिाओं के मद्देनज़र अंटार्कटकि समुद्री जीवति संसाधनों के संरक्षण के लयि आयोग **(CCAMLR)** एक बहुपक्षीय प्रतकि्रयिा है जो दक्षणिी महासागर के वातावरण को प्रभावति करते हुए क्रलि जैसे जीवों की स्थतिि को प्रभावति कर सकता है। इससे भोजन के लयि क्रलि पर नर्भिर रहने वाले समुद्री पक्षी, सील, व्हेल तथा मछली भी प्रभावति हो सकते हैं।

भारत में समुद्री संरक्षति क्षेत्र:

- भारत में **वन्यजीव (संरक्षण) अधनियिम 1972 के तहत नामति 33 राष्ट्रीय उद्यान** और वन्यजीव अभयारण्य हैं जो देश के MPA का नर्िमाण करते हैं।
- कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य एक इकाई बनाते हैं तथा भतिरकनकिा राष्ट्रीय उद्यान एवं भतिरकनकिा अभयारण्य MPA के अभन्नि अंग हैं। **इस प्रकार भारत में कुल 31 MPA हैं।**
- MPAs भारत के सभी **संरक्षति क्षेत्रों के कुल क्षेत्रफल के 4.01% से कम हसि्से** को कवर करते हैं।

//

IMPAC:

- IMPAC कॉन्ग्रेस **प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)** और चुने हुए मेज़बान देश के बीच एक सहयोगी प्रयास है।
- MPAs के प्रबंधन में नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिये कॉन्ग्रेस दुनिया भर के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों तथा हितधारकों को एक साथ लाती है।
- IMPAC का लक्ष्य विश्व की समुद्री जैवविविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग को आगे बढ़ाना है तथा समुद्री संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये जैविक विविधता के लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन का समर्थन करना है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/international-marine-protected-areas-congress